

क्रम-संख्या--278 (क)



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-

इब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट-पेट कन्वोशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 26 दिसम्बर, 2014

पौष 5, 1936 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

लोक सेवा प्रबन्धन विभाग

संख्या 438/91-09-2014

लखनऊ, 26 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

प०आ०-563

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 2011) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, समय-समय पर यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-2198/1-14-2010-33-(100)-2010 टी.सी.-3, दिनांक 15 जनवरी, 2011 में इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्नलिखित संशोधन करते हैं-

संशोधन

पूर्याक्त अधिसूचना में अनुसूची में क्रम संख्या-31 की प्रविष्टि के परचाए निम्नलिखित प्रविष्टियां स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-

क्र० सं०	विभाग का नाम	सेवा संख्या	प्रकार	निस्तारण की समय-सीमा		
				आवेदन की तिथि से	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
1	2	3	4	5	6	7
32	औद्योगिक विकास विभाग (विद्युत सुरक्षा निदेशालय)	02	एक- मध्य/उच्च/अति उच्च विभव अधिष्ठापन हेतु प्रथम निरीक्षण हेतु आवेदन (क) 400 कॅ.वी.ए. (ख) 400-5000 कॅ.वी.ए. (ग) 5000-10,000 कॅ.वी.ए.	30 दिन	20 दिन	15 दिन

1	2	3	4	5	6	7	
			(घ) 10,000 कं.वी.ए. से अधिक दो- जगरेटिंग सेट के अधिष्ठापन के निरीक्षण हेतु आवेदन (क) 400 कं.वी.ए. (ख) 400-5000 कं.वी.ए. (ग) 5000-10,000 कं.वी.ए. (घ) 10,000 कं.वी.ए. से अधिक	30 दिन	20 दिन	15 दिन	
33	औद्योगिक विकास विभाग (उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)	04	एक-उद्योग के स्थापना के (अनापत्ति प्रमाण-पत्र)	सहमति	120 दिन	60 दिन	30 दिन
			दो-वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अधीन उत्सर्जन की सहमति हेतु आवेदन		120 दिन	60 दिन	30 दिन
			तीन- जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974 की धारा 25/28 के अधीन उत्प्रवाह की सहमति हेतु आवेदन		120 दिन	60 दिन	30 दिन
			चार- यथा सशोधित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन खतरनाक अपघटकों का संग्रहण/रिसेप्शन/ट्रीटमेंट/स्टोरेज/डिस्पोजल के लिये ऑथराइजेशन/ऑथराइजेशन के नवीनीकरण हेतु आवेदन		120 दिन	60 दिन	30 दिन
34	औद्योगिक विकास विभाग (कारखाना निदेशालय, उत्तर प्रदेश)	02	(1) कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन भवन योजना के अनुमोदन हेतु और भवन की दृढ़ता हेतु प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन (क) सामान्य (एक) 50 कर्मकारों तक की जनशक्ति रखने वाले गैर खतरनाक कारखाना (दो) 51 कर्मकारों से अधिक (ख) खतरनाक (ग) अति दुर्घटनायुक्त खतरनाक कारखाने (2) कारखाना भवन के निर्माण के पूर्व लाइसेन्स के पंजीकरण और स्वीकृति या नवीनीकरण की प्राप्ति हेतु सूचना/आवेदन		30 दिन	15 दिन	15 दिन
					45 दिन	30 दिन	15 दिन
					90 दिन	30 दिन	15 दिन
					90 दिन	30 दिन	15 दिन

2	3	4	5	6	7
	(क) सामान्य				
	(एक) 50 कर्मकारों तक		30 दिन	15 दिन	15 दिन
	(दो) 51 कर्मकारों से अधिक		45 दिन	30 दिन	15 दिन
	(ख) खतरनाक		30 दिन	30 दिन	15 दिन
	(ग) अति दुर्घटनायुक्त खतरनाक कारखाने		30 दिन	30 दिन	15 दिन

आज्ञा से
एस० एन० शुक्ल,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 438 /XCI-09-2014, dated, December 26, 2014:

No. 438 /XCI-09-2014
Dated Lucknow, December 26, 2014

In exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyam, 2011 (U.P. Act. no. 3 of 2011) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act. no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make with effect from the date of publication of this notification in the Gazette the following amendment in Government notification no. 2198/I-14-2010-33-(100)-2010 F.C.III, dated January 15, 2011 as amended from time to time :-

AMENDMENT

In the aforesaid notification, in the Schedule, after entries at serial no. 31 the following entries shall columnwise be inserted, namely:-

S.No.	Name of Department	No. of service	Subject	Time Limit for disposal		
				From the date of application	First Appeal	Second Appeal
1	2	3	4	5	6	7
32	Industrial Development Department (Electrical Safety Directorate)	02	I. Application for Inspection for Medium/High/Extra High Voltage Installation (A) 400 KVA (B) 400-5000 KVA (C) 5000-10000KVA (D) More than 10000 KVA II. Application for Inspection of Installation of Generating Set (A) 400 KVA (B) 400-5000 KVA (C) 5000-10000KVA (D) More than 10000 KVA	30 days	20 days	15 days

उत्तर प्रदेश असाधारण मजदूर, 28 दिसम्बर, 2014

1	2	3	4	5	6	7
33	Industrial Development Department (Uttar Pradesh Pollution Board)	04	I. Consent to establish industry (NOC) II. Application for Consent for Emission U/S-21 of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 III. Application for Consent to Discharge U/S 25/26 of water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974. IV. Application for Authorization /Renewal of Authorization for Collection/Reception /Treatment /Storage/Disposal of Hazardous Wastes Under Environment Protection Act, 1986 as amended.	120 days	60 days	30 days
34	Industrial Development Department (Directorate of Factories U.P)	02	(1) Application for Building Plan Approval and Issue of Certificate for Stability of Building under the Factories Act, 1948. (a) General (i) Non Hazardous factory having manpower upto 50 workers (ii) Above 51 Workers (b) Hazardous (c) Major Accident Hazard Factories (2) Notice/Application of occupation for Registration and Grant or Renewal of Licence before Construction of the Factory Building (a) General (i) Upto 50 Workers (ii) Above 51 Worker (b) Hazardous (c) Major Accident Hazard Factories	30 days 45 days 90 days 90 days	15 days 30 days 30 days 30 days	15 days 15 days 15 days 15 days

By order,
S. N. SHUKLA,
Pramukh Sachiv.

पिनकोड-2010 802 राजपत्र (डिजे)-2015-(1090)-598 प्रतियां-(कम्प्यू/टी0/आफसेट)।
पिनकोड-2010 1 सा0 लोक सेवा प्रवचन-2015-(1091)-600 प्रतियां-(कम्प्यू/टी0/आफसेट)।

उत्तर प्रदेश शासन
लोक सेवा प्रबंधन अनुभाग
संख्या: 38/91-2019.
लखनऊ दिनांक 02 अगस्त 2019

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2011) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-2198/एक-14-2010-33(100)-2010 टी0सी0-आ, दिनांक 15 जनवरी, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, कम संख्या-53 की प्रविष्टियों के परचात् निम्नलिखित प्रविष्टियां इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

अनुसूची

क्र० सं०	विभाग का नाम	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी	सेवाओं के लिये नियत समय-सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी के निस्तारण हेतु नियत समय-सीमा	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी के निस्तारण हेतु नियत समय-सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	1- जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन प्राधिकृत किया जाना	बोर्ड द्वारा पदाभिहित अधिकारी	80 कार्य दिवस	मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (प्रशा०)	60 कार्य दिवस	सदस्य सचिव	30 कार्य दिवस
		2- ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अधीन प्राधिकृत किया जाना और रजिस्ट्रीकृत किया जाना	बोर्ड द्वारा पदाभिहित अधिकारी	120 कार्य दिवस	मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (प्रशा०)	60 कार्य दिवस	सदस्य सचिव	30 कार्य दिवस
		3- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाना	बोर्ड द्वारा पदाभिहित अधिकारी	90 कार्य दिवस	मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (प्रशा०)	60 कार्य दिवस	सदस्य सचिव	30 कार्य दिवस

आज्ञा से

(सचिव, प्रशासन)
सचिव।

**UTTAR PRADESH SHASAN
LOK SEWA PRABANDHAN ANUBHAG**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 38/91-2019, dated 02 August 2019.

NOTIFICATION

No. 38/91-2019
Lucknow: Dated 02 August 2019

In exercise of the powers under section-3 of the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyam, 2011 (U.P. Act, no. 3 of 2011) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act. no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette, the following amendment in Government Notification no. 2198/1-14-2010-33(100)-2010T.C.-III, dated January 15, 2011 as amended from time to time:-

AMENDMENT

In the aforesaid notification, in the Schedule after entries at serial number 53, the following entries shall, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, column-wise be inserted, namely:-

Schedule

Sl. No	Name of the Departments	Services	Designated officer	Stipulated time limits for Services	First Appeal Officer	Stipulated time limits for disposal of first Appeal officer	Second appellate authority	Stipulated time limits for disposal of Second Appeal officer
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	U.P. Pollution Control Board	1- Authorization under Bio-Medical Waste Management Rules, 2016	Designated officer by Board	90 Working Days	Chief Environment Officer (admin)	60 Days	Member Secretary	30 Days
		2- Authorization and Registration under E-Waste (Management) Rules, 2016	Designated officer by Board	120 Working Days	Chief Environment Officer (admin)	60 Days	Member Secretary	30 Days
		3- Registration under Plastic Waste Management Rules, 2016	Designated officer by Board	90 Working Days	Chief Environment Officer (admin)	60 Days	Member Secretary	30 Days

By order


(Pramukh Chachiv)

PRAMUKH CHACHIV